प्रेस नोट दिनांक 16.11.2022
थाना सुभाषनगर जनपद बरेली

थाना सुभाषनगर #bareillypolice द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण कर दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल तार आदि सामान बरामद ।

दिनांक 21/22.10.2022 की रात्रि में बदायूं रोड पर करगैना वीरपाल सिंह के धर्मशाला के हॉल में अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा राजेन्द्र मौर्य की गला घोटकर हत्या की जाने की घटना कारित की गई थी । जिसके सम्बन्ध में थाना सुभाषनगर पर मु0अ0सं0 642/22 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । घटना के अनावरण हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक सुभाषनगर द्वारा घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु दो टीमें गठित कर सर्विलांस शाखा के सहयोग से दिनांक 15.11.2022 को अभि0गण 1. रामजी सिंह उर्फ गौरव सिंह पुत्र हरकरन सिंह नि0 सिमराबोरीपुर थाना फरीदपुर जिला बरेली 2. शिवकुमार पुत्र विनोदपाल सिंह चौहान निवासी गोपालपुर नगरिया अनूप थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली को घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल के साथ ग्राम रोधी मिलक तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण की निशादेही पर राजेन्द्र मौर्य के हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल तार तथा राजेन्द्र मौर्य की जेब से निकाला गया मृतक राजेन्द्र का मोबाईल फोन व शटर के ताले की चाबी बरामद की गई।

हत्या का कारण व अपराध करने का तरीकाः-

राजेन्द्र मौर्य (मृतक) काफी दिनों से वीरपाल सिंह की धर्मशाला हॉल में सोता था वही वीरपाल सिंह का धेवता रामजी सिंह उर्फ गौरव सिंह पुत्र हरकरन सिंह नि0 सिमराबोरीपुर थाना फरीदपुर जिला बरेली भी कभी-कभी सोता था । राजेन्द्र मौर्य शराब पीने व मीट मुर्गा खाने का शौकीन था तथा अपने साथ रामजी सिंह को भी शराब पिलाकर उसे मीट की दावत देता था । कुछ दिन पूर्व राजेन्द्र मौर्य द्वारा रामजी सिंह को शराब पिलाकर व मीट खिलाकर रात्रि में रामजी सिंह के तख्त पर उसके पास लेटकर गलत काम करने का प्रयास किया । इस बात का विरोध करने पर राजेन्द्र मौर्य ने रामजी सिंह को भला बुरा कहा तथा रामजी सिंह की पत्नी के सम्बन्ध में भी भद्दी टिप्पणी की थी । इसी बात से नाराज होकर दिनांक 21/22.10.2022 की रात्रि में रामजी सिंह द्वारा अपने स्कूल समय के मित्र शिवकुमार पुत्र विनोदपाल सिंह चौहान निवासी गोपालपुर नगरिया अनूप थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली के साथ मिलकर मोटर साईकिल से घटनास्थल धर्मशाला में जाकर राजेन्द्र मौर्य के साथ शराब व मुर्गा मीट पकौड़ी की सभी ने दावत खायी तथा राजेन्द्र को नशा होने पर राजेन्द्र मौर्य का पीवीसी तार (डिश वाला तार) से गला घोटकर उसकी हत्या कर मृतक के कुर्ता की जेब से फोन व शटर की चाबी निकाल ली तथा मृतक राजेन्द्र को उसकी चारपाई पर लिटाकर उसके ऊपर चादर ढककर चारपाई पर मच्छरदानी लगा दी ताकि लोग समझें की राजेन्द्र मौर्य की स्वभाविक मौत हो गयी है । उसके बाद अभियुक्तगण रामजी सिंह व शिवकुमार धर्मशाला हॉल का शटर बन्द करके मोटर साईकिल से वापस भाग गये थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. रामजी सिंह उर्फ गौरव सिंह पुत्र हरकरन सिंह नि0 सिमराबोरीपुर थाना फरीदपुर जिला बरेली ।
2. शिवकुमार पुत्र विनोदपाल सिंह चौहान निवासी गोपालपुर नगरिया अनूप थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली ।

बरामदगी का विवरणः-

1. आलाकत्ल पीवीसी काले रंग का तार
2. घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल स्पलेण्डर प्लस नं० यू०पी० 25 डी0एच0 9237
3. एक अदद मोबाईल फोन रेडमी
4. घटनास्थल शटर के ताले की दो अदद चाबी

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीमः

1. सतीश कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना सुभाषनगर जनपद बरेली ।
2. व0उ0नि0 अंगद सिंह थाना सुभाषनगर जनपद बरेली ।
3. का0 1323 बलवेन्द्र सिंह थाना सुभाषनगर जनपद बरेली ।
4. का0 2920 शाहनवाज थाना सुभाषनगर जनपद बरेली ।
5. का0 2919 प्रमोद थाना सुभाषनगर जनपद बरेली ।
6. का0 3874 विमल थाना सुभाषनगर जनपद बरेली ।